17-4-25

पत्रावली पेश हुई विपक्षी प्रथम के निरस्तापत्र जारीकर खुले न्यायालय में सुनाया गया विपक्षी प्रति प्रथम के तहसीलदार अलवर को निगरानी जारीकर आदेश तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर होवे!

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/11	10.05.2019	136 LR Act	17.04.2025

उनवान

1:–सुरेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम बल्देवबास तहसील अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू०अ० अलवर।

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 420 रकबा 35 ऐयर वाके ग्राम बलदेवबास सबतहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० में स्थित है जो आराजी पूर्व में मिन प्रार्थी के पिता श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री अनन्तराम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जो वर्तमान में ग्रुपनेट एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी हैड ऑफिस के सामने रघुमार्ग अलवर शैक्षणिक प्रयोजनाथ दर्ज रिकार्ड है उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे मिन प्रार्थी के पिता की जाति ''जाट'' के स्थान पर सहबन से ''आर्यजाट'' अंकित कर दी है जबकि मिन प्रार्थी व उसके पिता की सही एवं वास्तविक जाति ''जाट'' है उपरोक्त प्रकार प्रार्थी की जाति ''जाट'' के स्थान पर ''आर्यजाट'' किया गया है उपरोक्त गलत इन्द्राज से मिन प्रार्थी के हकूक जायल होने का खतरा है तथा मिन प्रार्थी अपना व अपनी संतान का जाति प्रमाण पत्र बनवाने से महरूम हो रहा है, इसलिए हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित जाति ''आर्यजाट'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति ''जाट'' किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है कि जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है उक्त नाम दुरूस्त करने के लिए मिन प्रार्थी ने सम्बन्धित राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अप्रार्थी से कई बार निवेदन भी किया लेकिन उन्होने कोई दुरूस्ती नही की इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

मिन प्रार्थी के पिता श्री महेन्द्रपाल का स्वर्गवास हो चुका है मिन प्रार्थी श्री महेन्द्रपाल का जायज व कानूनी वारिस है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश किया जा रहा है यह कि उपरोक्त गलती कर्मचारियों की वजह से हाल सेटलमेन्ट के दौरान हई है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है उपरोक्त प्रकार की गलती सुधारने हेतु सरकार द्वारा बार–बार आदेश जारी किये जाते रहे है जिसके संदर्भ में श्रीमान को आदेश क्रमॉक प016–4(2) दिनॉक 29–11–2005 भी प्रेषित किया जाता है

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी हाल 420 रकबा 35 ऐयर वाके ग्राम बलदेवबास सबतहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० के हाल राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

को प्रार्थी की जाति "आर्यजाट" अंकित की गई है, उसे कलमजन कर सही एवं वास्तविक जाति "जाट" दर्ज कर दुरूस्ती की जाने की आज्ञा प्रदान की जावे आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर पत्रांक राजस्व/2019/205 दिनॉक ...-2019 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी बलदेवबास द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर ग्राम बलदेवबास के ख० नं. 420 रकबा 0.35 ऐयर पर प्रार्थी के पिता श्री महेन्द्रपाल पुत्र अनन्तराम की जाति "आर्यजाट" के स्थान पर "जाट" कराने का अनुतोष चाहा है बिन्दु स0 1 राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है बिन्दु 2 स्वीकार नहीं है प्रार्थी के पिता की जाति पूर्व रिकार्ड में भी "आर्यजाट" ही अंकित है बिन्दु स0 3 स्वीकार नहीं है प्रार्थी के पिता की जाति पूर्व रिकार्ड में भी "आर्यजाट" ही अंकित है प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्धि बाबत पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है सेटलमेन्ट के पूर्व में भी प्रासंगिक खातेदार की जाति "आर्यजाट" अंकित है प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि प्रार्थी के पिता अर्थात तत्कालीन खातेदार महेन्द्रपाल पुत्र अनन्तराम जाति "आर्यजाट" द्वारा जर्य रजिस्ट्री दि० २5-11-2006 प्र०स० एक जिल्द सं. 48 क्रमांक 1320 में प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नं. 420 रकबा 0.35 है० किस्म चाही 3 का बेचान मधुझिरिवाल पत्नि कमल झिरिवाल जाति यदुवंशी निवासी अलवर व पुष्पा गर्ग पत्नि हरिश गर्ग जाति महाजन निवासी अलवर को कर दी है उक्त रजिस्ट्री के आधार पर ततकालीन पटवारी हल्का चिकानी द्वारा ग्राम पंचायत बलदेवबास के नामान्तकरण स0 139 दिनॅाक 04-12-2006 दर्ज कर ग्राम पंचायत चिकानी द्वारा दिनॅाक 24-01-2007 को स्वीकार किया गया है।

तदपश्चात खरीददार खातेदारानो द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र दिनॅाक 22-12-2008 प्र0स01 जि0स0 77 पृष्ठ स0 75 क्रमॅाक 903 से ग्रुपनेट ऐजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी के पक्ष मे किया गया है उक्त दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण स0 193 दिनॅाक 26-12-2008 दर्ज किया जिसे ग्राम पंचायत चिकानी द्वारा दिनॅाक 07-1-2009 को स्वीकार किया गया ग्रुपनेट ऐजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा अन्य खसरा नम्बरो के साथ प्रार्थना पत्र मे अंकित ख0 न0 420 रकबा 0.35 है0 का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया गया है जिसका भी नामान्तकरण स0 213 दिनॅाक 10-2-2010 स्वीकार हो चुका है वर्तमान मे प्रार्थी के पिता के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे ख0 न0 420 रकबा 0.35 है0 रिकार्ड दर्ज खातेदार नही है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू-प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरुष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा-7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरुष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 0.35 है0 का बैचान प्रार्थी के पिता ने 25–11–2006 को बेचान कर दिया गया उसके वाद भी दिनॉक 22–12–2008 को दान पत्र हो चुका है तथा दानपत्र के बाद दिनॉक 24–12–2009 को रूपान्तरण हो चुका है वर्तमान मे प्रार्थी एंव प्रार्थी के पिता राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार नही है आराजी बेचान के साथ साथ समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है किसी भी प्रकार की त्रृटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है नाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

जिसके आधार पर प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 17 –4–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर